अध्याय V: अंतरण मूल्य निर्धारण

5.1 प्रस्तावना

अंतरण मूल्य निर्धारण (टीपी) का संदर्भ दो संबंधित सत्त्वों के बीच सीमा पार लेन देन के मूल्य निर्धारण से है। जब दो संबंधित सत्त्व कोई सीमा पार लेन देन करते है तो मूल्य जिस पर वह अपना लेन देन करते है को अतंरण मूल्य कहते हैं। संबंधित कम्पनियों के बीच विशेष संबंधों के कारण अंतरण मूल्य असंबंधित कम्पनियों के बीच सहमत हुई कीमत से भिन्न हो सकता है। अनियंत्रित परिस्थितियों में असंबंधित पार्टियों के बीच मूल्य को 'आर्मस लेन्थ प्राइस' (एएलपी) के रूप में जाना जाता हैं। अतः अंतरण मूल्य सीमा पार लेन देन में शामिल पार्टियों की आय निर्धारित करता है।

वित्तीय अधिनियम 2001, में अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमावली प्रारंभ की गई थी जिसके प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में पूर्व अधिनियम की धारा 92 के प्रतिस्थापन में धारा 92 से 92एफ में लागू करते हुए समाविष्ट किए गए थे। आय कर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 10ए, 10बी, 10सी, और 10ई टीपी विनियमों के पूरक को भी नियमों में समाविष्ट किया गया है। यह प्रावधान 'संबद्ध उद्यमों' (एई) या विशिष्ट घरेलू लेन देनों[52] के साथ 'अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों' से उदभूत आय की गणना से संबंधित हैं। विनियमावली में प्रावधान है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन से उदभूत किसी भी आय की संगणना एएलपी का ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

अधिनियम और समय समय पर जारी सीबीडीटी के निर्देश के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया का **बॉक्स 5.1** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

बॉक्स 5.1 अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान

धारा 92 सी के अन्तर्गत एएलपी की संगणना अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित की जानी चाहिए। टीपीओ को, निर्धारिती की सुनने के बाद, उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य और किसी विशिष्ट बिन्दु पर यथा अपेक्षित साक्ष्य पर विचार करने के बाद और सभी प्रासंगिक सामग्रियों के ध्यान में रखने के बाद, जो उसने इक्क्टठा किया हों, लिखित में आदेश द्वारा, धारा 92सीए(3) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में एएलपी के निर्धारण और निर्धारण अधिकारी (एओ) निर्धारिती को निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप देने के लिए अपने आदेश की एक प्रति भेजेगा। धारा 92सी(2) में प्रावधान है कि एएलपी और अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन का मूल्य जिस पर वास्तव में लेनदेन हुआ के बीच का अन्तर, उसके पाँच *प्रतिशत* से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसे एएलपी माना जाए। धारा 144सी(5) के अन्तर्गत, विवाद निपटान पैनल (डीआरपी) एओ को निर्देश देने के लिए जैसा उसे ठीक लगेगा निर्देश जारी करेगा ताकि वह टीपीओ की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

52 01.04.2013 से वित्तीय अधिनियम, 2012 द्वारा समाविष्ट

निर्धारण पूरा कर सके। धारा 92डी(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन करता है, आयकर नियमावली के नियम 10डी में जैसा निर्धारित है ऐसी सूचना और दस्तावेज रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा। इसके अलावा धारा 92ई के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन करता है को निर्धारित फार्म 3सीईबी में लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के सभी सुसंगत विवरण होंगे।

चार्ट 5.1 आईटीडी द्वारा अतंरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा प्रक्रिया और अपनाए गए विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।

चार्ट 5.1: अतंरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा प्रक्रिया

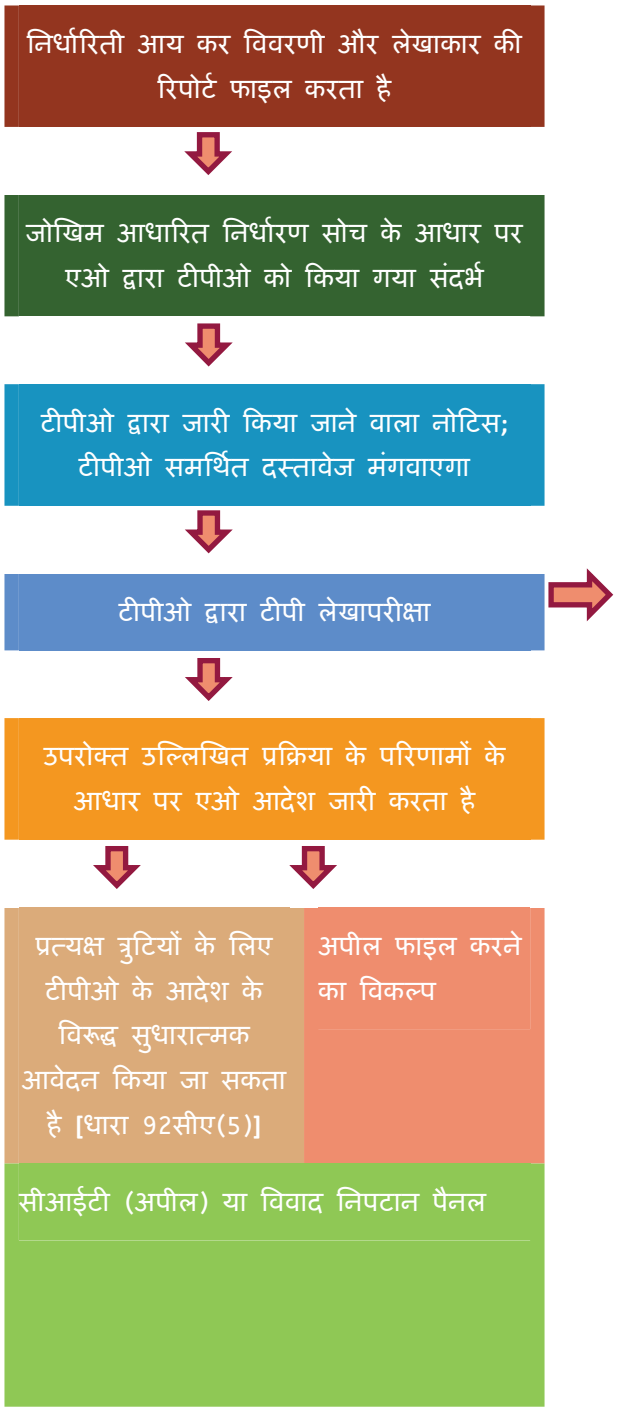

टीपीओ द्वारा टीपी लेखापरीक्षा में चरण

1. टीपीओ प्राथमिक प्रश्नावली जारी करता है।
2. निर्धारिती टीपीओ के कार्यालय को सभी सुसंगत दस्तावेज फाइल करता है (टीपी रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, करार इत्यादि)
3. टीपीओ सुनवाई के लिए नया नोटिस भेजता है; अद्यतित मार्जिन, संबंधित पार्टी से लेनदेन का विवरण, हानि वाली कम्पनियों को छोड़ते हुए मांगता है
4. निर्धारिती दूसरा प्रस्तुतीकरण फाइल करता है जिसमें अद्यतित मार्जिन इत्यादि शामिल होते हैं।
5. टीपीओ यदि आवश्यक हो, तुलना योग्य मदों से सबंद्धित निर्धारिती के कारोबार प्रोफाइल के संबंध में और प्रश्न पूछ सकता है।
6. यदि आवश्यक हो निर्धारिती तीसरा प्रस्तुतीकरण फाइल कर सकता है।
7. टीपीओ कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करता है जिसमें कारण हो सकते है कि टीपीओ यह क्यों मानता है कि समायोजन किया जाना चाहिए।
8. निर्धारिती एससीएन का उत्तर दाखिल करता है, दाखिल की गई विस्तृत प्रतिक्रिया।
9. टीपीओ आदेश पारित करता है और प्रति एओ को भेजता है।
10. एओ धारा 144सी के तहत ड्राफ्ट आदेश पारित करता है।

5.2 विवाद समाधान पैनल

विवादों के सुलझाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2009 ने विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) की अवधारणा प्रारंभ की ताकि एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र प्रदान किया जा सके जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों में अन्तरण मूल्य निर्धारण से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान कर सकेंगे। धारा 144सी डीआरपी से संबंधित प्रावधानों को शासित करती है और धारा 144सी की उप धारा 15 डीआरपी को एक कोलोजियम के रूप में परिभाषित करती है जिसमें तीन प्रधान कमिश्नर या आय कर कमिश्नर (सीआईटी) शामिल हैं जो इस उद्देश्य के लिए सीबीडीटी द्वारा गठित की गई है। धारा 144सी की उप धारा (14) द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में सीबीडीटी डीआरपी के दक्षपूर्ण कार्य के उद्देश्यों के लिए और योग्य निर्धारितियों द्वारा उप धारा (2) के अन्तर्गत दर्ज आपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए नियम बना सकता है।

चार्ट 5.2 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारिती को उपलब्ध विवाद निपटान प्रक्रिया दर्शाता है।

चार्ट 5.2: विवादों के निपटान की प्रक्रिया

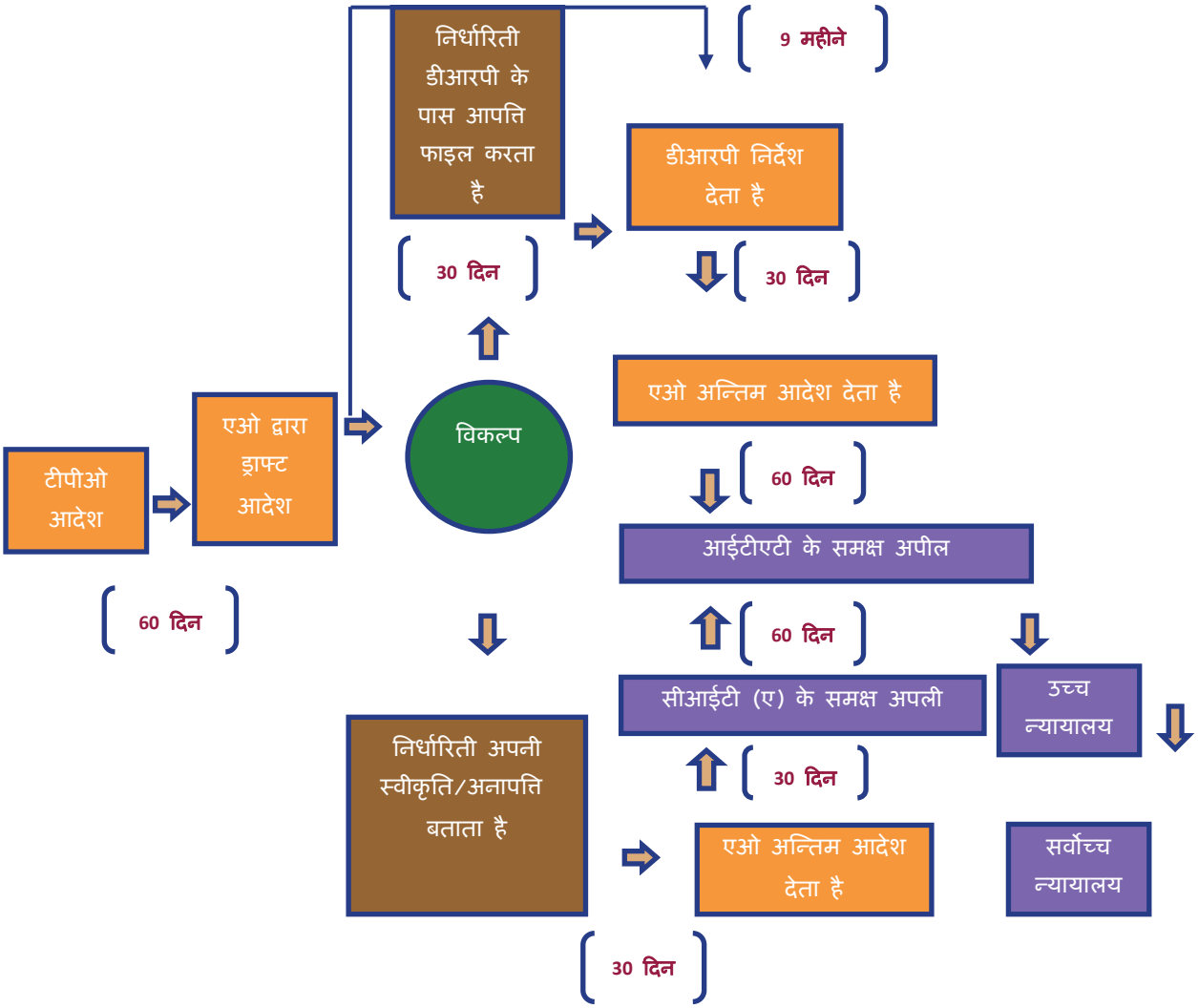

5.3 अन्तरण मूल्य निर्धारण आदेशों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने अहमदाबाद, हैदराबाद और मुम्बई के टीपीओ द्वारा जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के दौरान पारित टीपी आदेशों का चयन किया हम नीचे 10 उच्च मूल्य वाले मामले दे रहे हैं जिनमें टीपीओ ने एएलपी और उसके समायोजन में त्रुटियां की हैं।

5.3.1 सीआईटी (टीपी)-3, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी **(रिलायन्स मीडिया वर्क्स लिमिटेड)** का कॉरपोरेट गारंटी के अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों और संबंधित उद्यमों (एई) से उन्हें दिए गए ऋण पर वसूली योग्य ब्याज के लिए ₹ 30.63 करोड़ के समायोजन का आदेश पास किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने अपने आदेश में उसकी सहायक कम्पनी आरएमडब्ल्यू यूएसए इंक को दिए गए बकाया/नए ऋण पर 12.69 *प्रतिशत* की दर पर ब्याज प्रभारित करने का प्रस्ताव दिया ताकि लेनदेन की एएलपी का निर्धारण हो सके। तथापि टीपीओ ने ₹ 18.18 करोड़ के बकाया ऋण पर ब्याज की संगणना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप बराबर राशि का कम समायोजन हुआ। इसके अलावा, यूके शेयर धारक कम्पनी को दिए गए बकाया/नए ऋण पर ब्याज की संगणना करते समय, कुल ब्याज राशि ₹ 3.91 करोड़ के बजाय ₹ 3.79 करोड़ जोड़ी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़ का कम समायोजन हुआ। उपरोक्त त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 18.30 करोड़ का कुल कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.2 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नि.व. 2011-12 के लिए जनवरी 2015 में निर्धारिती कम्पनी **(वेदान्ता एल्यूमिनियम लिमिटेड)** को धारा 92सीए(3) के तहत एई के ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में ₹ 2.30 करोड़ का समायोजन किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी एई (वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, साइप्रस) से जापानी येन में ऋण के लिए (यूएस $400 मिलियन के बराबर) के लिए एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग (ईसीबी) ऋण करार किया। चूंकि ऋण की अवधि पांच वर्षों से अधिक थी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र[53] के अनुसार अधिकतम सम्पूर्ण लागत छः महीने एलआईबीओआर + 500 मूल प्वाइंट थी। तथापि, टीपीओ ने एई को

53 आरबीआई/2008-09/245 ए.पी. (डीआईआरक्रम) परिपत्र सं. 26 दिनांक 22 अक्तूबर 2008

प्रदत्त आर्मस लेंथ ब्याज की गणना करते समय छः महीने जेपीवाई-एलआईबीओआर ब्याज दर+500 बीपीएस के प्रति 12 माह का जेपीवाई एलआईबीओआर ब्याज दर + 500 बीपीएस लगे। अतः देय अधिकतम ब्याज दर 5.431 *प्रतिशत* के बजाय 5.659 *प्रतिशत*[54] पर निकाली गई 1 गलती के परिणामस्वरूप' आर्मलेंथ ब्याज की गलत गणना हुई जिसका ₹ 29.04 करोड़ के बजाय ₹ 30.26 करोड़ पर भुगतान किया गया, इसके कारण ₹ 1.22 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इसके अलावा, निर्धारिती ने अपने एई (वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, साइप्रस) के साथ पाँच वर्षों से अधिक के लिए 500 मिलियन यूएस डालर के ऋण के लिए एक और ईसीबी ऋण करार किया। टीपीओ ने 5.923 *प्रतिशत*[55] के रूप में देय ब्याज दर पर विचार किया और कोई समायोजन नहीं किया क्योंकि निर्धारिती और एई के बीच लेनदेन आर्मस लेंथ पर था (5.9 *प्रतिशत* की ब्याज दर के भुगतान पर)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने गलती से छः महीने के लीबोर ब्याज दर+500 बीपीएस के प्रति 12 महीने का यूएस $ लीबोर ब्याज दर +500 बीपीएस को लेते हुए देय ब्याज दर पर 5.519 *प्रतिशत* के ब्याज 5.923 के रूप में विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा अपने एई को अत्यधिक ब्याज के भुगतान के कारण ₹ 8.68 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 9.90 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अतंर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.3 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत जनवरी 2015 में ₹ 17.56 करोड़ के समायोजन पर निर्धारिती कम्पनी (थामस कुक इंडिया लिमिटेड) का आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने ट्रेवल सेगमेंट स्तर के लिए ट्रेड विंग लिमिटेड की तुलना योग्य के लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई)[56] की पुनः गणना की और अशोधय ऋण को घटाने के बाद लागत का समायोजन किया, तथापि तुलना योग्य के पीएलआई की 28.75 *प्रतिशत* के बजाय 19.34 *प्रतिशत* पर संगणना की गई थी जैसा नीचे तालिका 5.1 में दिया गया हैः

54 जापानी-येन के अनुसार लीबोर दर 2010 –(http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american dollar/2010.aspx)

55 2010 के यूएस $ लिबोर दरे–(http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2010.aspx)

56 पीएलआई वह अनुपात है जो एक सत्व के लाभ और निवेश किए गए संसाधनों या लाभ प्राप्ति पर व्यय की गई लागत के बीच संबंध को मापता है इसकी गणना आपरेटिंग लाभ (ओपी)/आपरेटिंग लागत (ओसी) के रूप में की जाती हैं।

तालिका 5.1: लाभ स्तर संकेतक की संगणना		₹ करोड़ में राशि
विवरण	टीपीओ के आदेश के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार
ट्रेवल सेगमेंट के अनुसार बिक्री	16.46	16.46
लागत	13.99	13.99
98.6 *प्रतिशत* के अनुपात में अशोध्य ऋण घटा	1.20	1.20
समायोजित लागत	12.78	12.78
ट्रेवल सेगमेंट लाभ	2.47	3.68
समायोजित लागत के प्रति ट्रेवल सेगमेंट लाभ की प्रतिशतता	19.34	28.75

इस प्रकार तुलना योग्य के पीएलआई की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.52 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और जून 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.4 सीआईटी (टीपी)-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी **(आदित्य बिरला मिनेक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड)** का ₹ 13.25 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने एई को दिए गए ऋण पर ब्याज के समायोजन की गणना करते समय 14 जनवरी 2011 से 22 मार्च 2011 तक की ऋण अवधि के लिए 68 दिन के बजाय 22 दिन अपनाए। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 52.59 लाख का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अगस्त 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.5 सीआईटी-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, टीपीओ ने जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी **(क्यूएसजी रिसोर्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड)** का ₹ 2.16 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। निर्धारिती ने अपवार्ड समायोजन के प्रति डीआरपी से पूर्व एक संदर्भ किया। टीपीओ ने डीआरपी के निर्देशों के अनुसरण में 15.43 *प्रतिशत* के तुलना योग्य औसत मार्जिन की पुनः गणना की। चूंकि निर्धारिती का मार्जिन पांच *प्रतिशत* की रेंज की अनुमत सीमा के अन्दर था इसलिए कोई समायोजन प्रस्तावित नहीं किया गया और तदनुसार दिसम्बर 2014 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत आदेश पारित कर अपवार्ड समायोजन को कम कर ₹ 'शून्य'. कर दिया गया। टीपीओ के आदेश की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डीआरपी आदेश के निर्देश को

लागू करते समय, एक तुलना योग्य (स्प्रे रिर्शोसेस) के एक असमायोजित और समायोजित मार्जिन को 33.25 *प्रतिशत* और 21.63 *प्रतिशत* के बजाय क्रमशः 15.52 *प्रतिशत* और 9.42 *प्रतिशत* लिया गया था जैसा कि धारा 92सीए(3) के तहत पारित आदेश में अपनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, तुलना योग्य के औसत समायोजित मार्जिन की संगणना 16.54 *प्रतिशत* के बजाय 15.43 *प्रतिशत* पर की गई थी। चूंकि निर्धारिती द्वारा प्रभारित मूल्य पाँच *प्रतिशत* की सीमा से बाहर आता है इसलिए ₹ 1.00 करोड़ का अपवर्ड समायोजन अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ को स्वीकार करते समय सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।*

5.3.6 सीआईटी-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, टीपीओ ने अक्तूबर 2014 में नि.व 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी **(केएचएस मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड)** का आदेश एई के रायल्टी प्रभार (के एचएस जीएमबी एच जर्मनी) के प्रति ₹ 2.27 करोड़ के समायोजन पर पास किया गया। निर्धारिती कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने एई को रायल्टी के भुगतान के प्रति बही खातों में ₹ 3.07 करोड़ का रायल्टी प्रभार डेबिट किया था। अतः रायल्टी लेनदेन के एएलपी के निर्धारण के समय, ₹ 2.27 करोड़ के बजाय लेखे में ₹ 3.07 करोड़ लिए जाने चाहिए थे जैसा कि निर्धारिती द्वारा फार्म 3सीईबी में रिपोर्ट किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और सितम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.7 सीआईटी'-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में टीपीओ ने जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी **(क्वीन्टाइल्स टेकनालजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)** का आदेश ₹ 17.44 करोड़ के समायोजन पर पास किया था। टीपीओ ने जून 2014 में धारा 154 के साथ पठित निर्धारिती द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर धारा 92सीए(5) के तहत गलती को सुधारा और अग्रिमों पर ब्याज के कारण ₹ 6.00 करोड़ से ₹ 1.14 करोड़ का कुल अपवर्ड समायोजन कम किया। तद्न्तर डीआरपी के आदेश को लागू करते समय, जनवरी 2015 में धारा 144सी(5) के तहत प्राप्यों पर ब्याज के प्रति ₹ 8.64 करोड़ का कुल समायोजन जिसमें ₹ 2.81 करोड़ शामिल है, किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अन्तर्गत आदेश पास करते समय निर्धारिती का तर्क कि ब्याज की संगणना, संबंधित माह के लिए देय

औसत राशि के वृद्धि संबंधी मूल्य पर की जाए को टीपीओ द्वारा स्वीकार किया गया था। तदनुसार, समायोजन को ₹ 6.00 करोड़ से घटाकर ₹ 1.14 करोड़ किया गया। धारा 144सी(5) के अनुसार डीआरपी निर्देशों को लागू करते समय ब्याज की गणना दोबारा प्रत्येक महीने के लिए अवधि जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2010 के महीने के प्रारंभ से देय पूरी औसत राशि पर की गई थी। संबंधित महीने के लिए देय औसत राशि के वृद्धि संबंधी मूल्य पर ब्याज की गणना में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का अनियमित अपवर्ड समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ स्वीकार करते समय सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।*

5.3.8 सीआईटी-आई एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में टीपीओ ने जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी **(ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)** का आदेश ₹ 23.80 करोड़ के समायोजन पर पास किया। टीपीओ के आदेश की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बिक्री का औसत मार्जिन नि.व. 2011-12 के लिए 0.79 *प्रतिशत* के बजाय वि.व. 2009-10 (नि.व. 2010-11 के लिए प्रासंगिक) की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 0.61 *प्रतिशत* निकाला गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ का अपावर्ड समायोजन हुआ जैसा कि नीचे तालिका 5.2 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 5.2: समायोजन की संगणना		**करोड़ ₹ में राशि**
विवरण	**टीपीओ के आदेश के अनुसार**	**लेखापरीक्षा के अनुसार**
निर्धारिती की कुल बिक्री	1,237.34	1,237.34
आर्मस लेंथ मीन रायल्टी दर	निवल बिक्री का 0.61 *प्रतिशत*	निवल बिक्री का 0.79 *प्रतिशत*
खर्चों की एएलपी	7.55	9.77
किया गया वास्तविक व्यय	31.35	31.35
धारा 92 सीए के तहत समायोजित की जाने वाली कमी	23.80	21.58

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अगस्त 2015 में धारा 92सीए(5) के साथ पठित धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कारिवाई की।

5.3.9 सीआईटी-आईटी एवं टीपी प्रभार, आन्ध्र प्रदेश में टीपीओ ने निर्धारिती कम्पनी **(डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज लिमिटेड)** का आदेश जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत एईज, को दिए गए ऋण पर ब्याज, कारपोरेट गारंटी और मार्केटिंग और वितरण पर लाभ सहभाजन के कारण ₹ 38.92 करोड़ के समायोजन पर पास किया। एईज को दिए गए ऋण पर प्रभारित ब्याज के कारण कमी की संगणना करते समय, टीपीओ ने एईज को ऋण पर ब्याज के लिए एएलपी के रूप में सात *प्रतिशत* निर्धारित किया और तदनुसार ₹ 7.04 करोड़ के समायोजन की गणना की जहां एईज को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर सात *प्रतिशत* से कम थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एई (डीआरएल आस्ट्रेलिया प्राईवेट लिमिटेड, आस्ट्रेलिया) को दिए गए ऋण के संबंध में कोई समायोजन प्रस्तावित नहीं किया गया था क्योंकि कर दाता द्वारा प्रभारित ब्याज (9.74 *प्रतिशत*) एएलपी से अधिक था (सात *प्रतिशत*) तथापि, समायोजन की गणना करते समय, उक्त एई से संबंधित ₹ 2.69 करोड़ के ब्याज का भी संमजन किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.10 सीआईटी-आईटी एवं टीपी प्रभार, आंध्र प्रदेश में टीपीओ ने निर्धारिती कम्पनी **(कोगनी जेंट टेकनालजी सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड)** का आदेश जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत एईज को दी गई आईटीईएस सेवाओं पर ब्याज के लिए ₹ 36.71 करोड़ के समायोजन पर पास किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ओपरेटिंग राजस्व और परिचालन लागत एई और गैर एई के लिए अलग थी और एई लेनदेनों पर समायोजन प्रस्तावित था। आईटीईएस के लिए आर्मस लेंथ मार्जिन का समायोजन 26.23 *प्रतिशत* पर किया गया था और उसे एई परिचालन लागत पर चिंहित किया गया था। तथापि, समायोजन पर पहुंचने पर के समय, कुल परिचालन राजस्व (एई एवं गैर एई) से संबंधित ₹ 296.27 करोड़ को ₹ 290.90 करोड़ के प्रति चिंहित एई से घटाया गया था जैसा नीचे तालिका 5.3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 5.3: समायोजन की संगणना		करोड़ ₹ में राशि
विवरण	**टीपीओ के आदेश के अनुसार**	**लेखापरीक्षा के अनुसार**
परिचालन लागत (ओसी)	268.66	268.66
कुल ओआर	296.27	296.27
एई को बिक्री	290.90	290.90
कुल ओआर के *प्रतिशत* के रूप में एई को बिक्री	98.19	98.19
एई बिक्री से कुल बिक्री के अनुपात में ओसी	263.79	263.79
समायोजित आर्मस लेंथ मार्जिन (*प्रतिशत* में)	26.23	26.23
ओसी के 126.23 *प्रतिशत* की दर पर एएलपी	332.99	332.99
प्राप्त कीमत	296.27	290.90
धारा 92सीए के तहत समायोजन	36.71	42.08

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।